रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052021-227093
CG-DL-E-19052021-227093

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 2021/वैशाख 29, 1943
No. 270] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 19, 2021/VAISAKHA 29, 1943

परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2021

सा.का.नि. 336(अ).—केंद्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, भारत सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 56(अ), तारीख 29 जनवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिनको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को 29 जनवरी, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियम के संबंध में जनता से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 में और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 115-कक के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"115 कख-सीएनजी, जैव -सीएनजी, एलएनजी से चालित कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलरों, संनिर्माण उपस्कर यानों और संयुक्त हार्वेस्टरों के लिए मास उत्सर्जन मानक -

(I) प्रयोगशील डीजल यान के इंजनों के रूपांतरण द्वारा संपरिवर्तन के लिए

(क) कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलरों, संनिर्माण उपस्कर यानों और संयुक्त हार्वेस्टरों के मामले में समर्पित सीएनजी / जैव-सीएनजी / एलएनजी संचालन के लिए रेट्रोफिटेड डीजल इंजन का टाइप अनुमोदन यान के विशिष्ट मेक और मॉडल के लिए दिया जाएगा और कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलरों, संनिर्माण उपस्कर यानों और संयुक्त हार्वेस्टरों के सीएनजी या जैव-सीएनजी या एलएनजी इंजन के लिए मास उत्सर्जन मानक इस अपवाद के साथ कि मापन के आधार पर नियम 115 कक में विस्तार से दिए गए अनुसार एचसी (हाइड्रोकार्बन) को एनएमएचसी (गैर-मीथेन हाइड्रोकार्बन) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा के साथ कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलरों, संनिर्माण उपस्कर यानों और संयुक्त हार्वेस्टरों के डीजल इंजनों के लिए लागू प्रचलित मास उत्सर्जन मानकों के अनुसार अनुमोदित होगा ;

(ख) इन नियमों के अधीन पार्टिकुलेट मैटर और दृष्टिगोचर प्रदूषकों (धुएं) के उत्सर्जन के लिए जांच लागू नहीं होगा;

(ग) विशिष्ट इंजन क्षमता के लिए यान पर अनुमोदित सीएनजी/जैव सीएनजी/एलएनजी किट को यान के विशिष्ट निर्माण और मॉडल तथा उसी क्षमता वाले इंजन के साथ लगे इसके वेरिएंटों पर लगाया जा सकता है;

(घ) उत्सर्जन करने के लिए उपयोग की जाने वाली सीएनजी/जैव-सीएनजी/एलएनजी संयोजन को समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ईंधन विनिर्देशों का अनुपालन करना होगा;

(ड.) जब सीएनजी/जैव -सीएनजी/एलएनजी संचालन के लिए किए गए हों, तब यांत्रिक रूप से नियंत्रित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित डीजल ईंधन भरे यानों के लिए पृथक टाइप के अनुमोदन की आवश्यकता होती है;

(च) "प्रयोगशील" यानों पर रेट्रोफिटमेंट के लिए टाइप अनुमोदन और सीओपी का उत्तरदायित्व किट विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता की होगी । प्रचलित सीओपी प्रक्रिया भी लागू होगी;

(छ) प्रतिस्थापन इंजन के लिए सीएनजी या जैव-सीएनजी या एलएनजी का टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र, टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख से तीन वर्ष तक के लिए विधिमान्य होगा और एक समय में 3 वर्ष के लिए पुन:नवीनीकरण कराए जाने लायक होगा ;

(ज) ओ.ई. या 'प्रयोगशील डीजल यान' के रेट्रोफिटमेंट के अनुसार सीएनजी/जैव-एनजी/ एलएनजी इंजन (डीजल इंजन से परिवर्तित) लगे कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर, संनिर्माण उपस्कर यानों/संयुक्त हार्वेस्टर को टाइप अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ जांच अभिकरणों द्वारा नीचे दी गई सारणी के अनुसार निम्नलिखित परफॉरमेंस जां की जाएगी, अर्थात् :-

जांच	संदर्भ दस्तावेज़ (समय-समय पर यथासंशोधित)
1.	(2)
(i) मास उत्सर्जन जांच	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/ सीएमवीआर/ टीएपी-115/116 और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएं

(ii) इंजन परफॉरमेंस का जांच (सकल क्षमता-पंखे के बगैर)	भाग IV सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/ सीएमवीआर / टीएपी-115/116 और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएं

टिप्पण : (क) मास उत्सर्जन जांच को यथालागू इंजन डाइनेमोमीटर पर किया जाएगा ।

(ख) केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 में निर्दिष्ट जांच अभकरण के समक्ष टाइप अनुमोदन के लिए प्रस्तुत यान इन नियमों के अधीन यथा लागू फिटनेस आवश्यकता का अनुपालन करना होगा;

(ग) सीएनजी/जैव-सीएनजी/एलएनजी यानों, किट कंपोनेन्ट्स नके लगाए जाने सहित की जांच प्रक्रिया और सुरक्षा के मार्गनिर्देश समय-समय पर यथा संशोधित उपाबंध IX एआईएस 024 और एआईएस 028 (संशो.1) के अनुसार होंगे;

(घ) जांच अभिकरण, जांच पूरा करेगी और जांच के लिए प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र देगी;

(ङ) जांच अभिकरणों से उन मॉडलों और उनके वेरिएंटों को बताने की अपेक्षा की जाएगी जिन पर नए इंजन का प्रतिस्थापन विधिमान्य होगा ।

(II) नए समर्पित सीएनजी/जैव सीएनजी/एलएनजी इंजन द्वारा प्रयोगशील डीजल इंजन का प्रतिस्थापन:

(क) प्रयोगशील डीजल इंजन वाले कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलर्स, संनिर्माण उपस्कर यानों और संयुक्त हार्वेस्टरों के मामले में, जिसको संपीडित प्राकृतिक गैस (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीएनजी कहा गया है) या जैव-संपीडित प्राकृतिक गैस (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीएनजी कहा गया है) या एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) के साथ यान के विशिष्ट मेक और मॉडल के लिए टाइप अनुमोदन प्रदान किया जाएगा और प्रचलित मास उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा। उत्सर्जन जांच प्रक्रिया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/ सीएमआरआर/टीएपी-115/116 (समय-समय पर यथा संशोधित) और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर लागू कानून के अधीन अधिसूचित किए गए अनुसार होगी । कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलरों, संनिर्माण उपस्कर यानों और संयुक्त हार्वेस्टरों के सीएनजी या जैव-सीएनजी या एलएनजी इंजन के लिए मास उत्सर्जन मानक इस अपवाद कि मापन के आधार पर नियम 115 कक में विस्तार से दिए गए अनुसार एचसी (हाइड्रोकार्बन) को एनएमएचसी (गैर-मीथेन हाइड्रोकार्बन) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, के साथ कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलरों, संनिर्माण उपस्कर यानों और संयुक्त हार्वेस्टरों के डीजल इंजनों के लिए लागू प्रचलित मास उत्सर्जन मानकों के समान होगा ;

(ख) विशिष्ट इंजन क्षमता के लिए यान पर अनुमोदित सीएनजी या जैव -सीएनजी या एलएनजी प्रतिस्थापन इंजन को यान के विशिष्ट मेक और मॉडल और उसी क्षमता के इंजन वाले इसके वेरिएंट पर लगाया जा सकता है;

(ग) ऐसे सीएनजी, जैव-सीएनजी, एलएनजी किट कंपोनेन्ट्स और उसके लगाए जाने सहित, के लिए जांच प्रक्रिया और सुरक्षा मार्गदर्शन, उस समय तक, जब तक कि तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित न किया जाए, यथालागू और समय-समय पर संशोधित किए गए एआईएस 024 और एआईएस 028 संशो. 01 के अनुसार होंगे;

(घ) उत्सर्जन करने के लिए प्रयुक्त सीएनजी/जैव-सीएनजी/एलएनजी संयोजन को केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ईंधन विनिर्देशों को पूरा करना होगा;

(ड.) सीएनजी या जैव-सीएनजी या एलएनजी इंजन या यान के लिए नियम 115कक में तय किए गए पार्टिकुलर मैटर और दृष्टिगोचर प्रदूषकों (धुएं) के उत्सर्जन की जांच लागू नहीं होगा;

(च) 'प्रयोगशील' यानों पर ओईप्रतिस्थापन इंजन और आफ्टरमार्केट प्रतिस्थापन इंजन के लिए टाइप अनुमोदन और सीओपी का उत्तरदायित्व क्रमशः यान विनिर्माता और प्रतिस्थापन इंजन विनिर्माता या पूर्तिकर्ता की होगी । प्रचलित सीओपी प्रक्रिया भी लागू होगी;

(छ) प्रतिस्थापन इंजन के लिए सीएनजी या जैव-सीएनजी या एलएनजी का टाइप अनुमोदन, टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख से तीन वर्ष तक के लिए विधिमान्य होगा और एक समय में 3 वर्ष के लिए पुन:नवीनीकरण कराए जाने लायक होगा ;

(ज) प्रतिस्थापन सीएनजी/जैव सीएनजी/एलएनजी इंजन लगे कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर, संनिर्माण उपस्कर यान/संयुक्त हार्वेस्टर को टाइप अनुमति देने के प्रयोजनार्थ जांच अभिकरणों द्वारा नीचे दी गई सारणी के अनुसार निम्नलिखित परफॉरमेंस जांच की जाएगी, अर्थात् :-

जांच	संदर्भ दस्तावेज (समय–समय पर यथासंशोधित)
1.	(2)
(i) मास उत्सर्जन जांच	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/ सीएमवीआर/ टीएपी-115/116 और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएं
(ii) इंजन के परफॉरमेंस की जांच (सकल क्षमता-पंखे के बगैर)	भाग IV सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 जारी सं.3 और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं(प्रतिस्थापन सीएनजी/जैव-सीएनजी/ एलएनजी इंजन का परफॉरमेन्स मूल डीजल इंजन (क्षमता, टॉर्क और गति सीमा) के परफॉरमेन्स के बराबर होगा ।

स्पष्टीकरण :-

(क) मास उत्सर्जन जांच को यथा लागू इंजन डाइनामोमीटर पर किया जाएगा ।

(ख) नियम 126 में निर्दिष्ट यानों को जांच अभिकरण के समक्ष टाइप अनुमोदन के लिए इन नियमों के अधीन यथा लागू फिटनेस आवश्यकता का पालन करना होगा ।

(ग) ऐसे सीएनजी, जैव-सीएनजी, एलएनजी किट कम्पोनेन्ट्स और उसके लगाए जाने सहित, के लिए जांच प्रक्रिया और सुरक्षा मार्गदर्शन, उस समय तक जब तक कि तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित न किया जाए, समय-समय पर यथा संशोधित किए गए एआईएस 024 और एआईएस 028 (संशो. 01) के अनुसार होंगे ।

(घ) जांच अभिकरण, जांच पूरा करेगा और जांच के लिए प्रस्तुत किए जाने के तीन मास के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा ।

(ङ) जांच अभिकरणों से उन मॉडलों और उनके वेरिएंटों को विशेष रूप से बताने की अपेक्षा की जाएगी, जिन पर नए इंजन का प्रतिस्थापन विधिमान्य होगा ।

[आरटी -11036/07/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से संशोधित किए गए अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 277(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2021 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2021

G.S.R. 336(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways G.S.R 56(E), dated the 29th January, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section (3), sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

Whereas, copies of the said official Gazette in which the said notification were made available to the public on the 29th January, 2021;

And, whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Eighth Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 115-AA, the following rule shall be inserted, namely:-

"115AB. Mass emission standards for CNG, Bio-CNG, LNG driven agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters.-

(I) **For conversion by modification of engines of In-use Diesel Vehicle**

(a) In case of agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters, Type approval for diesel engine retrofitted for dedicated CNG/ Bio-CNG/LNG operation shall be given for specific make and model of the vehicle, and shall be approved as per the prevailing mass emission standards applicable for diesel engines of agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters, with the exception that the HC (Hydrocarbon) shall be replaced by NMHC (Non-Methane Hydrocarbon) on measurement basis, as detailed in rule 115 AA;

(b) Test for particulate matter and emission of visible pollutants (smoke) under these rules shall not applicable;

(c) CNG/Bio-CNG/LNG kit approved on the vehicle for specific engine capacity can be installed on specific make and model of vehicle and its variants fitted with the same capacity engine;

(d) The CNG/Bio-CNG/LNG composition used for carrying out emissions shall meet the fuel specifications as notified by the Central Government from time to time;

(e) Separate type approval is required for mechanically controlled and electronically controlled diesel Fuel injected vehicles when retrofitted for CNG /Bio-CNG/LNG operation;

(f) For retrofitment on "in-use" vehicles, the responsibility of the Type Approval and COP shall be that of the kit manufacturer or supplier. Prevailing COP procedure will also be applicable;

(g)The type approval certificate of CNG or Bio-CNG or LNG for replacement engine shall be valid for three years from the date of the issue of type approval certificate and shall be renewable for three years at a time;

(h) For the purpose of granting type approval to the agriculture tractor, power tiller, construction equipment vehicle/combine harvester fitted with CNG/Bio-CNG/LNG engine (converted from Diesel engine) as O.E. or retrofitment of 'In-use diesel vehicle', following performance Tests shall be carried out as per the table given below by the test agencies, namely:-

IndiaCode

Test.	Reference Document (as amended from time to time.
1.	(2)
(i) Mass emission test	MoRTH/CMVR/TAP-115/116 and notifications issued by the Government of India in this respect from time to time
(ii) Engine performance test (gross power -without fan)	Part IV MoRTH/CMVR/TAP-115/116 and notifications issued by the Government of India in this respect from time to time

Note: (a) The mass emission test shall be carried out on engine dynamometer, as applicable.

(b) Vehicles offered for type approval to the testing agency referred in rule 126 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall have to comply with fitness requirement as applicable under these rules;

(c) Test procedure and safety guidelines of CNG/Bio-CNG/LNG vehicles, kit components including installation thereof, shall be as per Annexure IX AIS 024 and AIS 028(rev.1), as amended from time to time;

(d) The test agency shall complete the test and give necessary certificate within three months of the same being submitted for test;

(e) Testing agencies will be required to indicate specifically, the models and their variants on which the replacement of new engine will be valid.

(II) **Replacement of In-use Diesel Engine by New dedicated CNG/ Bio-CNG/LNG Engine-**

(a) In case of agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters having in-use diesel engine which is replaced with a Compressed Natural Gas (hereinafter referred to as CNG) or Bio-Compressed natural gas ((hereinafter referred to as Bio-CNG) or LNG (Liquefied Natural Gas), Type approval shall be given for specific make and model of vehicle and shall be approved as per prevailing mass emission norms. Emission test procedure shall be as per MoRTH/CMVR/TAP-115/116 (as amended from time to time) and as notified by the Central Government from time to time under the applicable law. Mass emission standards for CNG or Bio-CNG or LNG engines of agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters shall be same as the prevailing mass emission standards applicable for diesel engines of agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters, with the exception that the HC (Hydrocarbon) shall be replaced by NMHC (Non-Methane Hydrocarbon) on measurement basis as detailed in rule 115 AA;

(b) CNG or Bio-CNG or LNG replacement engine approved on the vehicle for specific engine capacity can be installed on the specific make and model of vehicle and its variants fitted with the same capacity engine;

(c) Test procedure and safety guidelines for such CNG, Bio-CNG, LNG kit components, including installation thereof, shall be as per AIS 024 and AIS 028 Rev 01 as applicable and amended from time to time, till such time as corresponding BIS specifications are notified;

(d) The CNG/Bio-CNG/LNG composition used for carrying out emissions shall meet the fuel specifications as notified by the Central Government from time to time,

(e) Tests for particulate matter and emission of visible pollutants (smoke) stipulated in the rule 115AA shall not be applicable for CNG or Bio-CNG or LNG engine or vehicle;

(f) For OE replacement engine and aftermarket replacement engine on "in-use" vehicles, the responsibility of the Type Approval and COP shall be that of the vehicle manufacturer and replacement engine manufacturer or supplier respectively. Prevailing COP procedure will also be applicable;

(g)The type approval certificate of CNG or Bio-CNG or LNG for replacement engine shall be valid for three years from the date of the issue of type approval certificate and shall be renewable for 3 years at a time;

(h) For the purpose of granting type approval to the agriculture tractor, power tiller, construction equipment vehicle / combine harvester fitted with replacement CNG/Bio-CNG/LNG engine, following performance Tests shall be carried out as per the table given below by the test agencies, namely:-

Test	Reference Document (as amended from time to time
(1)	(2)
(i) Mass emission test	MoRTH/CMVR/TAP-115/116 and notifications issued by the Government of India in this respect

(ii) Engine performance test (gross power -without fan)	Part IV MoRTH/CMVR/TAP-115/116 issue no. 3 and notifications issued by the Government of India in this respect. ((Performance of the replacement CNG/Bio-CNG/LNG engine shall match with the performance of the original diesel engine (Power, torque and speed range)

Explanation:-

a. The mass emission test shall be carried out on engine dynamometer, as applicable.

b. Vehicles offered for type approval to the testing agency referred in rule 126 shall have to comply with fitness requirement, as applicable under these rules.

c. Test procedure and safety guidelines for such CNG/Bio-CNG/LNG vehicles, kit component including installation thereof shall be as per AIS 024, AIS 028 (rev.1) as amended from time to time, till such time as corresponding BIS specification are notified.

d. The test agency shall complete the test and give necessary certificate within three months of the same being submitted for test,

e. Testing agencies will be required to indicate specifically, the models and their variants on which the replacement of new engine will be valid."

[RT-11036/07/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i),vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. 277(E), dated the 8th April, 2021.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.05.19 20:22:31 +05'30'